<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'सी' अहमदाबाद।</u>

समक्षः श्री टी.आर. सेन्थिल कुमार, न्यायिक सदस्य <u>एवं</u>
श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य

आयकर अपील सं. 870/एएचडी/2024
(निर्धारण वर्षः लागू नहीं)

वहालचन्द धरमचन्द स्मारक ट्रस्ट लक्ष्मी भुवन, 8-1642, गोपीपुरा, सूरत, गुजरात- 395002 स्थायी ले.सं. एएएटीवी1526ए	**बनाम**	**आयकर आयुक्त(छूट),** अहमदाबाद
(अपीलार्थी)		**(प्रत्यर्थी)**

अपीलार्थी की ओर से	सुश्री स्वीटी गर्ग, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री सुधेन्दु दास, सीआईटी-डीआर
सुनवाई की तारीख	27.11.2024
उच्चारण की तारीख	29.11.2024

<u>आदेश</u>

<u>श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य द्वारा</u>

आवेदक ट्रस्ट द्वारा दायर यह अपील आयकर आयुक्त(छूट) अहमदाबाद, (संक्षेप में 'सीआईटी(छूट)') द्वारा पारित दिनांक 27.02.2024 के आदेश के विरूद्ध है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80जी(5)(iii) के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी की उप-धारा (5) के प्रथम प्रावधान के खण्ड (iii) के तहत ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आवेदन, निर्धारिती द्वारा फार्म संख्या 10एबी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया गया था। विद्वान सीआईटी(छूट) ने अवलोकन किया कि

निर्धारिती को अधिनियम की धारा 80जी के तहत अनंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ था और इसलिए, अनंतिम अनुमोदन की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले या अपनी गतिविधियों के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, फार्म 10एबी में आवेदन दायर करना आवश्यक था। सीआईटी(छूट) ने पाया कि निर्धारिती ट्रस्ट को 04.01.1978 को निगमित किया गया था और ट्रस्ट को 16.02.2022 को अनंतिम अनुमोदन जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान आवेदन निर्धारिती द्वारा विलंब से दायर किया गया था, इसलिए सीआईटी (छूट) ने 25.11.2023 को नोटिस जारी कर निर्धारिती से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। दिनांक 29.12.2023 को दिए गए प्रत्युत्तर में निर्धारिती ने प्रस्तुत किया था कि ट्रस्ट की गतिविधियाँ 04.01.1978 को शुरू हुई थीं, किन्तु वर्तमान आवेदन दायर करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सीआईटी(छूट) ने अवलोकन किया है कि आवेदक ट्रस्ट को 30.09.2022 को या उससे पहले फार्म 10एबी में आवेदन दायर करना आवश्यक था। चूंकि अधिनियम की धारा 80जी(5) के तहत अनुमोदन के लिए वर्तमान आवेदन विलम्ब से दायर किया गया था, अतः उसे विद्वान सीआईटी(छूट) द्वारा गैर-रखरखाव योग्य मानते हुए खारिज कर दिया गया और दी गई अनंतिम स्वीकृति भी रद्द कर दी गई।

3. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती की विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि सुश्री स्वीटी गर्ग ने बताया कि निर्धारिती इस अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इस संबंध में 22 नवंबर, 2024 को एक पत्र भी दायर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि इस अपील के बाद निर्धारिती को संबंधित फार्म दाखिल करने में देरी को माफ करते हुए सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार अधिनियम की धारा 80जी(5) के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है। इसलिए, निर्धारिती ने इस अपील

को वापस लेने की अनुमति मांगी है। राजस्व विभाग को निर्धारिती द्वारा अपील वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. हमने निर्धारिती की प्रस्तुति पर विचार किया है। अधिनियम की धारा 80जी(5)(iii) के तहत अनुमोदन इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया कि आवेदन निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके पश्चात, आवेदन दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया गया और निर्धारिती को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसलिए, निर्धारिती ने वर्तमान अपील वापस लेने की अनुमति मांगी है।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

यह आदेश दिनांक: 29.11.2024 को उच्चारित किया गया।

Sd/-	Sd/-
(टी.आर. सेन्थिल कुमार)	(नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
न्यायिक सदस्य	**लेखा सदस्य**

अहमदाबाद दिनांकः 29/11/2024

सुमरा

<u>आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः-</u>

1. अपीलार्थी 2. प्रत्यर्थी 3. संबंधित आयकर आयुक्त 4. आयकर आयुक्त(अपील) 5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद। 6. गार्ड फाइल

आदेश से,

सहायक पंजीकार
आयकर अपीलीय अधिकरण,
अहमदाबाद।